राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 352/2008

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कार्यकारी अभियंता ओ एवं एम, जयपुर विद्युत वितरण निगम एल, धौलपुर के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजेंद्र प्रसाद पुत्र कालीचरण शर्मा, घंटाघर रोड, धौलपुर।
2. स्थाई लोक न्यायालय अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायमूर्ति, धौलपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8827/2008 से संबंधित

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यकारी अभियंता (ओ एंड एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धौलपुर के माध्यम से।

----गैर आवेदक/याचिकाकर्ता

बनाम

1. शेरखान पुत्र अल्लादीन खान, निवासी निकट पुलिस थाना किला बाड़ी, जिला धौलपुर।
2. स्थायी लोक न्यायालय अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री बिपिन गुप्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री राहुल कामवार

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

आदेश सुरक्षित करने की तिथि 24/01/2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि 29/03/2023

1. चूंकि इन दोनों रिट याचिकाओं में सामान्य मुद्दे शामिल हैं, पार्टियों की सहमति से, दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 352/2008 का उच्चतमक जेवीवीएनएल बनाम है। तथ्यों का अध्ययन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद एवं अन्य को मुख्य फ़ाइल के रूप में लिया गया है।

2. याचिकाकर्तागण ने स्थायी लोक न्यायालय (संक्षेप में "पीएलए"), धौलपुर द्वारा सी.एम.क्रमांक 107/2007 उच्चतमक 'राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम' जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' में पारित दिनांक 09.10.2007 और 14.11.2007 के पंचाट और उच्चतमक 'शेर खान बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' में पीएलए द्वारा केस नंबर 138/2007 में पारित दिनांक 01.02.2008 के पंचाट को इस आधार पर चुनौती दी है कि पीएलए के पास विधिक सेवाप्राधिकरणअधिनियम, 1987 (संक्षेप में "1987 का अधिनियम") की धारा 22 ग के अंतर्गत दायर ऐसे मामले में जहां बिजली के उपभोक्ता को बिजली की चोरी के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया है, आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 27.09.2007 को प्रत्यर्थी की उपस्थिति में याचिकाकर्ता के परिसर में एक निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और बॉडी सील और टर्मिनल सील टूटी हुई पाई गई। विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "2003 का अधिनियम") की धारा 135-138 के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह की छेड़छाड़ बिजली की चोरी के समान है, और इसलिए निरीक्षण दल ने तुरंत कनेक्शन काट दिया और छेड़छाड़ किए गए मीटर को जब्त कर लिया। प्रत्यर्थी और वीसीआर (बेयरिंग नंबर 4793/27) दिनांक 27.09.2007 भी दायर किया गया था। निरीक्षण दल ने प्रत्यर्थी को वीसीआर की प्रति प्रदान करने का प्रयास किया लेकिन प्रत्यर्थी ने उसे देने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी ने वीसीआर पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने 2003 के अधिनियम की धारा 126ट तहत दिनांक 27.09.2007 को एक अनंतिम मूल्यांकन भी किया और रुपये 42,688 की नागरिक देनदारी का निर्धारण किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब तक उक्त राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक राजस्थान विद्युत नियामक

आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2004 (संक्षेप में "2004 के विनियम") के अनुसार, किसी भी पुन: कनेक्शन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत अपराध के लिए 10.10.2007 को एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। वीसीआर दिनांक 27.09.2007 के विरुद्ध, प्रत्यर्थी ने पीएलए से संपर्क किया, जिसने दिनांक 09.12.2007 के अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि रुपये 15,000/- जमा करने पर 3 दिनों के भीतर कनेक्शन को अस्थायी रूप से बहाल किया जाए। पीएलए ने उक्त अंतरिम आदेश की पुष्टि दिनांक 14.11.2007 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से बिना इस तथ्य पर ध्यान दिए की कि पीएलए के पास ऐसे आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

4. अपने इस तर्क के समर्थन में कि पीएलए के पास बिजली चोरी के मामलों में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 2003 के अधिनियम के भाग XV के तहत गठित विशेष अदालतों के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा, 1987 के अधिनियम की धारा 22ग (8) के अनुसार, यदि सुलह विफल हो गई है और विवाद एक 'अपराध' से संबंधित है, तो पीएलए को गुण-दोष के आधार पर कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि मामला बिजली चोरी के अपराध से संबंधित है, जैसा कि 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत परिभाषित किया गया है, पीएलए के पास कोई आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

5. अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अजय सिन्हा: AIR 2008 SC 2398** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के **महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम बद्रीनाथ पेमा राठौड़. (रिट याचिका संख्या 3425/2019;14.01.2022 को निर्णित)** मामले, **दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम स्थायी लोक न्यायालय, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ और अन्य (सीडब्ल्यूपी नंबर 23193/2013;09.02.2016 को निर्णित)** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय, **मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य और अन्य: 2014 (1) एडीजे 563,**में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और **टाटा पावर दिल्ली**

डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बनाम रामपाल (डब्ल्यू.पी. (ग) संख्या 7749/2016;30.06.2020 को निर्णित) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।।

6. *इसके विपरीत,*प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निरीक्षण प्रत्यर्थी की उपस्थिति में नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पीएलए का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क के तहत निहित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधानमंडल द्वारा किया गया था, ताकि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त विधिक सहायता योजना प्रदान की जा सके। मौजूदा मामले में, यह निर्विवाद है कि मामला एक सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी से संबंधित है और 1987 के अधिनियम की धारा 22 क (ख) के अनुसार, पीएलए के पास सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों के विरूद्ध आवेदनों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीएलए के समक्ष शामिल मुद्दा केवल नागरिक दायित्व से संबंधित था, किसी अपराध के लिए नहीं, इसलिए 1987 के अधिनियम की धारा 22ग(8) में निहित रोक वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी और इसलिए पीएलए गुण-दोष के आधार पर पंचाट पारित करना पूरी तरह से उनकी शक्ति में है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2012) 8 एससीसी 243** के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय यह प्रस्तुत करने के लिए पर भी भरोसा किया है कि पीएलए विशेष प्रतिमाओं के तहत प्रदान किए गए मंचों के अतिरिक्त हैं और 2003 के अधिनियम की तरह उनके अल्पीकरण में नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **कार्यकारी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम यू.पी. राज्य और अन्य. (2022 की रिट-सी संख्या 15897; 04.07.2022 को निर्णित),**में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के और **पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम महिंदर सिंह और अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (2014 का सीडब्ल्यूपी नंबर 17964; 19.09.2015 को निर्णित)**के निर्णय पर भी भरोसा किया है।

7. दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, रिट याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन किया और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

8. वर्तमान मामलों में शामिल सीमित विवाद बिजली की चोरी शामिल होने पर किसी आवेदन पर विचार करने के लिए स्थायी लोक न्यायालय के क्षेत्राधिकार और क्षमता से

संबंधित है।

9. इसमें शामिल कानून के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, 1978 के अधिनियम और 2003 के अधिनियम की योजना का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

9.1. हम 2003 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से शुरुआत करेंगे। 2003 के अधिनियम की धारा 135 बिजली की चोरी से संबंधित है और उपधारा (1) के अनुसार, मीटर के साथ छेड़छाड़ करना बिजली की चोरी माना जाएगा और इसके लिए तीन साल तक की कैद या/और जुर्माना के दंड का प्रावधान होगा। 2003 के अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1क) में कहा गया है कि बिजली की चोरी का पता चलने पर आपूर्ति लाइन को काट देना होगा। धारा 135(1क) का तीसरा प्रावधान केवल निर्धारित राशि जमा करने पर ही बिजली की आपूर्ति लाइन की अस्थायी बहाली की अनुमति देता है। 2003 के अधिनियम की धारा 126 मूल्यांकन से संबंधित है और 2003 के अधिनियम की धारा 145 विशेष रूप से,2003 के अधिनियम की धारा 126 और 127 के तहत आने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे/कार्यवाही पर विचार करने के लिए सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को रोकती है। 2003 के अधिनियम की धारा 152 निर्दिष्ट करती है कि 'बिजली की चोरी' एक मिश्रित अपराध है। 2003 के अधिनियम का भाग XV, 2003 के अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालयों से संबंधित है। 2003 के अधिनियम की धारा 154(1) के अनुसार, 2003 के अधिनियम की धारा 135-140 और 150 के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध, केवल क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा। 2003 के अधिनियम की धारा 154(5) के अनुसार, विशेष न्यायालय को बिजली चोरी के लिए धन के संदर्भ में उपभोक्ता के विरूद्ध नागरिक दायित्व निर्धारित करने का अधिकार है। नागरिक दायित्व को 2003 के अधिनियम की धारा 135-140 और 150 में निर्दिष्ट अपराध के कारण हुई क्षति के नुकसान के रूप में स्पष्ट किया गया है।

9.2. 2003 के अधिनियम की योजना पर विचार करने के बाद, 1987 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा। धारा 22क उपधारा (ख)'सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं' को परिभाषित करती है और उपधारा (ख)(iii) के अनुसार), बिजली, प्रकाश और जल आपूर्तिकर्ता भी 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं' की परिभाषा के अंतर्गत

शामिल हैं। 1987 के अधिनियम की धारा 22ग इस प्रकार है:

धारा 22 ग-स्थायी लोक न्यायालय के मामले का संज्ञान

(1) विवाद का कोई भी पक्ष, विवाद को किसी भी न्यायालय के समक्ष लाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकता है:

<u>बशर्ते कि स्थायी लोक न्यायालय को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो किसी कानून के तहत समझौता योग्य नहीं है;</u>

बशर्ते कि स्थायी लोक न्यायालय को उस मामले में भी क्षेत्राधिकार नहीं होगा जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो;

बशर्ते यह भी कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट दस लाख रुपये की सीमा को बढ़ा सकती है।

(2) स्थायी लोक न्यायालय में उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के तहत स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन किया जाता है, वहां-
(क) आवेदन के प्रत्येक पक्ष को अपने समक्ष एक लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देगा, जिसमें आवेदन के तहत विवाद के तथ्य और प्रकृति, ऐसे विवाद में बिंदु या मुद्दे और ऐसे बिंदुओं के समर्थन या विरोध में आधार का उल्लेख होगा या मुद्दे, जैसा भी मामला हो, और ऐसी पार्टी ऐसे बयान को किसी भी दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य के साथ पूरक कर सकती है जिसे ऐसी पार्टी ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में उचित समझती है और ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ ऐसे बयान और आवेदन के प्रत्येक पक्ष के लिए अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो,की एक प्रति भेजेगी;
(ख) आवेदन के किसी भी पक्ष को सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है;
(ग) आवेदन के किसी भी पक्ष से प्राप्त किसी दस्तावेज़ या बयान को दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, ताकि ऐसा दूसरा पक्ष उसका उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके।
(4) जब स्थायी लोक न्यायालय की संतुष्टि के लिए बयान, अतिरिक्त बयान और उत्तर, यदि कोई हो, उप-धारा (3) के तहत दायर किया गया है, तो यह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह की कार्यवाही इस तरह से करेगा जैसाकिविवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है।
(5) स्थायी लोक न्यायालय, उप-धारा (4) के तहत सुलह कार्यवाही के

संचालन के दौरान, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में पार्टियों की सहायता करेगी।

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के समाधान में स्थायी लोक न्यायालय के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज़प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करे।

(7) जब उपरोक्त सुलह कार्यवाही में एक स्थायी लोक न्यायालय की राय हो कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पार्टियों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तें तैयार कर सकता है और दे सकता है। संबंधित पक्ष अपनी टिप्पणियों के लिए और यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक न्यायालय उसके संदर्भ में एक पंचाट पारित करेगी और प्रत्येक को उसकी एक प्रति संबंधित पक्षको प्रस्तुत करेगी।

(8) जहां पक्ष उप-धारा (7) के तहत एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक न्यायालय, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का निर्णय *करेगा।*

बल दिया गया"

इस समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विशेष क़ानून के तहत बनाए गए मंचों का क्षेत्राधिकार छीना नहीं गया है। 1987 के अधिनियम द्वारा किसी भी तरीके से और पीएलए विशेष क़ानून के तहत प्रदान किए गए मंचों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके अल्पीकरण में। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता की तरह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के विरूद्ध एक आवेदन, वर्तमान प्रत्यर्थी की तरह एक उपभोक्ता द्वारा पीएलए के समक्ष किया जा सकता है। हालाँकि, पीएलए कानून के प्रावधानों, विशेष रूप से 1987 के अधिनियम की धारा 22 ग से बंधा हुआ है। 1987 के अधिनियम की धारा 22 ग की उपधारा (1) का पहला प्रावधान विशेष रूप से गैर-शमन अपराध संबंधी मामलों में पीएलए के क्षेत्राधिकार को रोकता है।1987 के अधिनियम की धारा 22 ग की उप-धारा (1) का दूसरा प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में पीएलए के क्षेत्राधिकार को शुरू किया गया है जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से ऊपर है। वास्तविक मामले में, कथित विवाद बिजली की चोरी से संबंधित है, जो एक उचित योग्य अपराध है और नागरिक देयता भी कई गुना कम है। पीआईएल के क्षेत्राधिकार पर

रोक, जैसा कि 1987 के अधिनियम की धारा 22ग(1) में निहित है, प्रभावी नहीं होगी। 1987 के अधिनियम की धारा 22ग की उपधारा (3) मेंपीएलए द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। 1987 के अधिनियम की धारा 22ग की उप-धारा (4), (5), (6) और (7) में यह आवश्यक है कि पीआईएलआई सुलह शुरू हो औरपूर्ण समाधान तक पहुंचे। क्या पीएएलए किसी भी अकाट्य/समझौते पर विवाद का निर्णय कर सकता है। हालाँकि, 1987 के अधिनियम की धारा 22ग की उप-धारा (8) द्वारा विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि विवाद पर कोई भी निर्णय ले सकता है, जब वह किसी अपराध से संबंधित नहीं है।

10. अधिनियम 1987 और अधिनियम 2003 के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ऐसे मामलों में जहां बिजली चोरी का अपराध शामिल है, यह नोट किया गया है कि पीएलए को केवल सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में पार्टियों की सहायता करने का अधिकार है। इस तरह के समझौते के अभाव में, पीएलए के पास विवाद पर निर्णय लेने और/या गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्री-लिटिगेशन चरण में विवाद के समाधान की जिम्मेदारी लोक अदालतों को सौंपते समय सुलह और समझौते पर जोर दिया जाता है। हालाँकि, विवादित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि पीएलए उक्त पहलू पर पूरी तरह से चूक गया है। बिजली की चोरी से संबंधित मामला 2003 के अधिनियम के तहत एक अपराध है और क्योंकि ऐसा अपराध समझौता योग्य है, पीएलए के पास सुलह और निपटान के सीमित उद्देश्य के लिए विवाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहने पर, पीएलए गुण-दोष के आधार पर मामले पर निर्णय करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

11. गैर-सकारण आक्षेपित आदेश दर्शाते हैं कि पीएलए न केवल सुलह की कार्यवाही करने में बल्कि 2003 के अधिनियम के तहत, 1987 के अधिनियम की धारा 22 ग की उप-धारा (8) में निहित विशिष्ट रोक के बावजूद विफल रही।इसलिए, पीएलए के पास बिजली चोरी के मामले में कोई भी पंचाट पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और विवादित आदेशों को रद्द करने और अपास्त करने कि आवश्यकताहै।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे संबंधित मुद्दे पर नहीं हैं और इसलिए लागू नहीं होते हैं। जबकि, इसी तरह के तथ्यों और

परिस्थितियों में, **बद्रीनाथ पेमा राठौड़ (सुप्रा.)** के मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा:

> *"14.विद्युत अधिनियम में उक्त धारा पूर्ण संहिता है और कंपनी को उस उपभोक्ता का आकलन करने का अधिकार देती है, जो बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त है। विद्युत अधिनियम का भाग XIV अपराध और दंड का प्रावधान करता है और धारा 135 एक प्रावधान है, जो बिजली की चोरी के लिए जुर्माना लगाता है और बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए संबंधित प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-*
>
> > *"135. बिजली की चोरी.-(1) जो कोई, बेईमानी से.....*
> >
> > *ङ) जिस उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग करता है, जिससे बिजली में बाधा डालना या उपभोग करना या उपयोग करना कारावास से दंडनीय होगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।*
>
> *उपरोक्त प्रावधान अनधिकृत तरीके से बिजली की खपत या उपयोग को अपराध बनाता है। 1987 अधिनियम की धारा 22(ग)(1) के पहले प्रावधान में यह प्रावधान है कि स्थायी लोक न्यायालय के पास किसी भी कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा। माना जाता है कि आवेदक का कृत्य 2003 अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध है, लेकिन धारा 22(ग) के प्रावधान में निर्देश दिया गया है कि, यदि मामला ऐसे अपराध से संबंधित है, जो समझौता योग्य नहीं है, तो स्थायी लोक न्यायालय कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्युत अधिनियम की धारा 152 अपराधों के शमन का प्रावधान करती है और बिजली की चोरी एक शमनीय अपराध है और इसलिए, लोक न्यायालय के पास ऐसे अपराध के संबंध में एक आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा, जो समझौता योग्य है। हालाँकि, धारा 22 (ग) में निहित योजना का आगे उल्लेख करने से, यह स्पष्ट है कि जहां पार्टियों के बीच सुलह विफल हो जाती है और कोई समझौता नहीं होता है, उस आकस्मिक स्थिति में, स्थायी लोक न्यायालय दोनों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित है तो पक्ष गुण-दोष के आधार पर धारा 22 (ग) के दो खंडों के बीच एक अंतर किया गया है, जो धारा 22 (ग) की उप-धारा (1) से जुड़ा पहला प्रावधान है, और धारा 22 (ग) की उप-धारा 8 के बीच, जो शब्द "यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है" दर्शाता है। इस मामले में, स्थायी लोक न्यायालय विवाद का निर्णय नहीं करेगी। अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ने पर, यह बताता है कि, जहां स्थायी लोक न्यायालय के समक्ष लाया गया विवाद एक अपराध है, जो समझौता योग्य है, जिस पर सुलह और समझौता करने के उद्देश्य से*

स्थायी लोक न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, लेकिन यदि सुलह विफल हो जाती है , तो यह स्थायी लोक न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत नहीं है कि मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाए, यदि यह किसी अपराध से संबंधित है, भले ही अपराध समझौता योग्य हो। अनूठा निष्कर्ष यह है कि स्थायी लोक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान सुलह या समझौता नहीं होने पर, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित है, तो समझौता नहीं होने की स्थिति में स्थायी लोक न्यायालय कोई निर्णय पारित नहीं कर सकती है। पर, न ही वह उक्त विवाद पर निर्णय दे सकती है और उसे वहीं रुकना होगा।

15. उपरोक्त वैधानिक योजना के आलोक में, जब स्थायी लोक न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा एक घटना से संबंधित आवेदन दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत अधिनियम में अपराध दर्ज किया गया, तो स्थायी लोक न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए विवाद पर विचार किया था। लेकिन किसी भी सुलह का प्रयास नहीं किया और इसके अभाव में, धारा 22 (ग) की उप-धारा (8) के तहत रोक लगाए जाने के बावजूद, विवाद को स्थगित करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार, स्थायी लोक न्यायालय स्पष्ट रूप से आवेदक द्वारा शुरू किए गए विवाद को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाने में त्रुटि में पड़ गई है, जब यह पार्टियों के बीच सुलह/निपटान को प्रभावित नहीं कर सका। इसलिए, उक्त आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (सुप्रा.),मैसर्सटोरेंट पावर लिमिटेड (सुप्रा.)और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सुप्रा.)के मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। ।

12. उपरोक्त के आलोक में, इन दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश दिनांक 09.10.2007 और 14.11.2007 (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 352/2008 में) और विवादित आदेश दिनांक 01.02.2008 (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8827/2008 में) तदनुसार रद्द कर दिए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं।

13. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

Pooja/110-111

टिप्पणी:इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया

गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।